

-3-

3- एकीकरण में उत्तर प्रदेश वैशिक शिक्षा विभाग सेवा नियमावली 1981 के नियम 6 के अन्तर्गत परन्तु 1981 का संस्कार को प्रदत्त 245 वर्ष तक की आयु तक छूट देने जाने के अपने अधीकार का प्रतिनिधायन राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वैशिक शिक्षा विभाग 1972 की धारा 14 की उप धारा 111 के अधीन समस्त जिला वैशिक शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जगहों के आयुधियों के सम्बन्ध सम्बन्ध में सहज करी है।

3- 4 परा 1 व 3 में उल्लिखित व्यवस्था इस शासनादेश के निर्माण की दिशि से केवल एक वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेगी।

भावदीय,

J. Narayan

। राज नारायण सक्सेना
उप सचिव ।

संख्या 777311क / 15151/84-342/84

प्रतिनिधि विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2- अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 3- उप सलाहकार, उत्तर प्रदेश, शिक्षा कार्यलय, लखनऊ
- 4- उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा कार्यलय, लखनऊ
- 5- समस्त जिलाय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
- 6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
- 7- समस्त जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
- 8- सचिव, उत्तर प्रदेश वैशिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
- 9- शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग ।
- 10- राष्ट्रीय स्वीकरण अनुभाग -।

आज्ञा से,

J. Narayan

। राज नारायण सक्सेना
उप सचिव ।